

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 456/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
इण्डियन बैंक शाखा- 84/56 मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

1. मैसर्स रेडेड्रोन्,
पता:- 27-बी, मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र (रीको), जयपुर।
2. श्री रामावतार गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर लाल गुप्ता,
पता- डी-140, सावित्री पथ, बापू नगर, गांधी नगर, जयपुर।
एव बी-3बी, विला प्रिन्सेसा, कृष्णा नगर, गोपालपुरा बायपास, जयपुर।
3. श्री राजीव गुप्ता पुत्र श्री रामावतार गुप्ता,
4. श्रीमती रंजना गुप्ता पत्नी श्री राजीव गुप्ता,
पता- डी-140, सावित्री पथ, बापू नगर, गांधी नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the Securitization and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.

उपस्थित :- श्री महेश शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 08.09.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.03.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स रेडेड्रोन् प्रोपराईटर श्री रामावतार गुप्ता के स्वामित्व की औद्योगिक सम्पत्ति भूमि व भवन प्लॉट नं. 27-बी, मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र (रीको), जयपुर, क्षेत्रफल 2127.50 वर्गमीटर को बंधक रख कर कुल राशि 01,25,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 04.04.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

प्र
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थीगणों को 01,25,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए धोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 01,24,97,574.76/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 04.04.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स रेडेड्रोन प्रोपराईटर श्री रामावतार गुप्ता के स्वामित्व की औद्योगिक सम्पत्ति भूमि व भवन प्लॉट नं. 27-बी, मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र (रीको), जयपुर, क्षेत्रफल 2127.50 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर



6. आदेश आज दिनांक 08.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला न्यायाधीश
(कलक्टर) जयपुर